मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–6798/2019 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के क्रम में वर्कचार्ज की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा मानते हुये ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जो एन0पी0एस0 योजना से आच्छादित हैं, को पेंशनरी लाभ दिये जाने के दृष्टिगत नियोक्ता के अंशदान के समायोजन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.10.2020 को सम्पन्न उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:–

1. श्री आर0के0 सुधांशु, सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री अमित नेगी, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री सयन सिंह, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री दिनेश कुमार पुनेठा, अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री मुकेश मोहन, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
6. श्री हरिओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियन्ता (अधि0) लोक निर्माण विभाग।
8. श्री पंकज तिवारी, निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया:–

1– लोक निर्माण विभाग एवं सिचाई विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवा अवधि को सम्मलित करते हुये पेन्शन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–4371/2011 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत हैं:–

"In view of reading down Rule 3 (8) of the U.P. Retirement Benefits Rules, 1961, we hold that services rendered in the work-charged establishment shall be treated as qualifying service under the aforesaid rule for grant of pension. The arrears of pension shall be confined to three years only before the date of the order. Let the admissible benefits be paid accordingly within three months. Resultantly, the appeals filed by the employees are allowed and filed by the State are dismissed".

2– मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 2768 कार्मिक सेवानिवृत्त हुये हैं। इन सेवानिवृत्त कार्मिकों में से दिनांक 01.04.2020 से 01.07.2020 तक 480 कार्मिकों को पेन्शन प्रदान कर दी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त 788 ऐसे कर्मचारी जिनके अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध हैं, को दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 01.10.2020 के मध्य पेंशन का भुगतान आरम्भ करने के साथ ही दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक 1500 कार्मिकों जिनके अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं, को जैसे–जैसे कार्मिकों के सेवा अभिलेख उपलब्ध होंगे, पेन्शन स्वीकृत कर दी जायेगी। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के उक्त प्रतिशपथ–पत्र के आधार पर सिविल अपील निस्तारित करते हुये आदेश दिनांक 21.05.2020

क्रमशः–2

द्वारा उक्त में वर्णित समय–सीमा के भीतर किये पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के आदेश पारित किये गये हैं।

3– चूँकि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्कचार्ज की सेवा का लाभ पेन्शन में अनुमन्य किये जाने हेतु एक समय–सीमा निर्धारित की गयी है तथा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या एवं अभिलेखों की उपलब्धता के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखा गया, उक्त आधार पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः इन कार्मिकों को पेन्शन अनुमन्य किये जाने हेतु समय–सीमा का निर्धारण किया गया, जिसके आधार पर सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग को इन प्रकरणों पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 10.06.2020 के द्वारा निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन अनुमन्य/स्वीकृत करते हुये भुगतान प्रारम्भ किये जाने में हो रही कठिनाईयों के विषय में बैठक में सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिव, वित्त विभाग, अपर सचिव न्याय विभाग एवं लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग के विभागीय अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

बैठक में सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे कार्मिक जो पूर्व में एन0पी0एस0 योजना के आच्छादित थे, परन्तु अब उन्हें पुरानी पेन्शन योजना से आच्छादित माना गया है, को राज्य सरकार के अंशदान (Fund value) की धनराशि राजकोष में जमा करना अनिवार्य है। उक्त कर्मचारियों को मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पेंशनरी लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियोक्ता के अंशदान के समायोजन में हो रही व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण पेंशन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब हो रहा था, जिसके निराकरण हेतु निदेशक कोषागार द्वारा पत्रांक–3117 दिनांक 29.09.2020 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। अतः उक्त बिन्दु पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **(कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।)**

बैठक में प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 28.09.2020 तक शासन को प्रेषित आख्यानुसार लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कुल सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कार्मिकों की सख्या–1004 है, लेकिन खण्ड कार्यालयों से प्राप्त अद्यतन सूचना के आधार पर सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कार्मिकों की संख्या बढ़कर 3792 हो गयी है, जबकि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या–1764 पूर्ववत् स्थिर है। लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सेवानिवृत्त वर्कचार्ज के कार्मिकों की संख्या में अचानक अप्रत्याशित बृद्धि के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 द्वारा स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। चूँकि प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किये जाने के उपरान्त सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कार्मिकों की संख्या में बदलाव किया जाना उचित नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि जिन–जिन क्षेत्रीय/खण्डीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कार्मिकों की संख्या में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, उन सभी कार्यालयों का स्पेशल ऑडिट कराये जाने के तत्काल आदेश निर्गत करते हुये सभी उत्तरदायी कार्मिकों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।

(कार्यवाही प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं वित्त विभाग)

क्रमशः–3

बैठक में सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर स्वीकृति हेतु कुल 2249 पेंशन प्रकरण विभिन्न कोषागारों को प्रेषित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित कोषागारों द्वारा वर्तमान तक 1254 प्रकरणों को स्वीकृत किये गये हैं, किन्तु उक्त के सापेक्ष **मात्र 1177 प्रकरणों के सापेक्ष पेंशन भुगतान प्रारम्भ किया** गया है। उक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 21.05.2020 को आदेश निर्गत किये गये है। मा0 उच्च न्यायालय में योजित शपथ पत्र में सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की **कुल संख्या–2768** अंकित की गयी है, जिसमें से 1268 कर्मचारियों के अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध हैं। मा0 न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में 1268 वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन ऐरियर एवं अन्य अनुमन्य देयकों का भुगतान दिनांक 01.10.2020 तक कर दिया जाना था। उक्त के अतिरिक्त 1500 सेवानिवृत्त ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारी जिनके अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा 1268 सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन प्रारम्भ किये जाने हेतु तय की गयी समयसीमा दिनांक 01.10.2020 तक मात्र 1177 प्रकरणों का निस्तारण किये जाने अर्थात **मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न किये** जाने पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त ही गयी।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर वर्कचार्ज कर्मचारियों के पेन्शन प्रपत्र एवं पुनरीक्षित पेन्शन स्वीकृत किये जाने की कार्यवाहीं युद्ध स्तर पर सम्पादित की जाये। यदि निर्धारित तिथि के भीतर कार्यवाही सम्पादित नहीं की जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा। ऐसे कर्मचारी जिनके अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, को पत्र प्रेषित किये जाये तथा सम्पर्क न हाने पर व्यापक प्रचलित समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित/प्रचारित की जाये। वित्त विभाग द्वारा समस्त कोषाधिकारियों को यह निर्देश जारी किये जायेंगे कि मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत वर्कचार्ज कार्मिकों के पेन्शन प्रकरणों में प्रदेश के समस्त कोषागारों के स्तर से उच्च प्राथमिकता तथा समयबद्ध आधार पर पेन्शन स्वीकृति की कार्यवाही की जाय तथा ऐसे प्रकरण जिनमें नियमानुसार पेन्शन स्वीकृति हेतु कमियां प्रतीत होती हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को कमियों के निराकरण हेतु कोषागार में तत्काल उपस्थित होने के निर्देश प्रदान करते हुये तदनुसार कमियों का निराकरण किये जाने हेतु कार्यवाही सम्पादित की जाय।

(कार्यवाही प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं वित्त अनुभाग–06)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

क्रमशः–4

संख्या– 2116 / III(1)/20–04(54)रि0या0/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–6/7/10, उत्तराखण्ड शासन।

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।